न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 252/17 (वाद)

1. श्री मांगीलाल पिता गेन्दा जाति मेघवाल, निवासी वासनीमाफी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम्

1. श्री जगदीश पिता काशीराम मून्दडा, निवासी नया बाजार, सनवाड रोड, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री अजयसिंह हाडा, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

निर्णय

दिनांक : 30.01.2019

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा वासनीमाफी की आराजी संख्या 946 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात् राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी में दर्ज होकर वादी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता है तथा वादी को अपनी खातेदारी व आधिपत्य की उक्त आराजीयात में शान्तिपूर्वक काश्त करने नही देता है जबकि उक्त आराजीयात् वादी के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी में दर्ज होकर वादी उक्त आराजीयात् से फसल वगैरह लेता चला आ रहा है प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार नही है। वादी जाति से मेघवाल है व प्रतिवादी जाति जैन है व प्रतिवादी के पास काफी धन बल है जिसके आधार पर प्रतिवादी वादी को वाद की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात से बेदखल कर कब्जा करना चाहता है व प्रतिवादी उक्त आराजीयात् पर कब्जा कर रोड पर प्लोट काटना चाहता है जबकि प्रतिवादी को वादी के खातेदारी की आराजीयात में प्रवेश करने व वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी वाद की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात् पर

ताकत, धन व स्वर्ण जाति के बल पर कब्जा करने की नियत से वादी से लडाई झगडा करता है व वादी को धमकी देता है कि यह जमीन रोड पर है इसलिए उक्त जमीन में से एक प्लोट मुझे बेच दो वरना मैं जबरन कब्जा कर लुंगा व पुलिस थाने में भी मेरी अच्छी जान पहचान है इसलिए पुलिस के मार्फत भी तुम्हे उक्त जमीन से बैदखल कर मैं कब्जा कर पक्की बाउण्ड्री का निर्माण करा दुंगा तुम मेरा कुछ भी नही बिगाड सकते हो वादी के मना करने पर भी प्रतिवादी नही मान रहा है व लडाई झगडा करने पर उतारू है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी वाद की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में जबरन प्रवेश नही करें, न ही जबरन पक्का निर्माण कार्य करें, न वादी को उक्त आराजीयात से बैदखल करें, वादी को उक्त आरजीयात में शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें इसमें कोई रूकावट पैदा नही करें। प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से वादी को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नही की जा सकेगी वादी का प्राईमाफैसी केस है व सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 04.11.17 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् पर कब्जा करने आए व वादी को कब्जा खाली करने की धमकी दी तथा कब्जा वादी द्वारा खाली नही करने पर ताकत के बल पर उक्त भूमि पक्का निर्माण कार्य करने की धमकी दी तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् में प्रतिवादी जबरन प्रवेश नही करे न ही जबरन पक्का निर्माण कार्य करें, न वादी को उक्त आराजीयात् से बैदखल करें, वादी को उक्त आराजीयात् में शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें कोई रूकावट पैदा नही करें। मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि – वादीगण द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण आप श्रीमान के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या कथन अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आराजी संख्या 946 रकबा 1.06 बीघा भूमि वास्तव में आबादी भूमि है जिसका पट्टा वादी के पिताजी श्री गेन्दा पिता दोला मेघवाल द्वारा वर्ष 1996 में प्राप्त कर लिया गया तथा उपरोक्त भूमि संपरिवर्तन पत्रावली संख्या 65/96 होकर पट्टा संख्या 66 प्राप्त किया गया जिसके पश्चात् उपरोक्त भूमि को वादी के पिताजी द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक भागों में विभाजित कर विक्रय किया जा चुका है। वादी के पिताजी श्री गेन्दा के देहावसान के पश्चात् उपरोक्त भूमि का आबादी भूमि में दर्ज होने का नामान्तरकरण नही हो जाने के कारण उक्त भूमि वादी के खाते में नुमाईशी तौर से इन्द्राज है जिसका अनुचित लाभ उठाकर वादी ने झूठा दावा विधि विपरित ढंग से प्रस्तुत किया है जबकि उपरोक्त बाबत् पूरी जानकारी वादी को प्रारम्भ से रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चूंकि

आबादी भूमि से सम्बन्धित है तथा उक्त आराजी संख्या 946 कृषि भूमि नही होने से उपरोक्त प्रकरण का श्रवणाधिकार आप न्यायालय को प्राप्त नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारीज किये जाने का आदेश फरमावें।

3. प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 गलत होकर अस्वीकार है क्योकि वादी ने अपने वाद में कोई तथ्य मिथ्या अंकित नही किये है। विवादाग्रस्त आराजीयात् आज भी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में कृषि भूमि दर्ज होकर वादी मांगीलाल के नाम दर्ज है उक्त भूमि न तो सम्परिवर्तन से वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है न ही राजस्व नक्शें में तरमीम हुई है वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत से वादी के नाम दर्ज हुई है तथा वादी आज भी खातेदार काश्तकार है यदि प्रतिवादी को उक्त भूमि अपने नाम सम्परिवर्तन से करानी है तो वह अपने जवाब दावें में उजर लेते हुए अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करा सकता है आज विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार कृषि भूमि है व कृषि भूमि होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है इसलिए प्रतिवादी का यह कहना गलत है कि उक्त वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। प्रतिवादी को यदि कोई उजर लेने तो अपने जवाब दावें में ले सकता है आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत उक्त वाद निरस्त होने योग्य नही है क्योकि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में वादी के वाद को देखना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की प्लीडिंग के आधार पर वाद विधि से वर्जित है या नही। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत नही कर कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया है जो वादी के वाद को लम्बा करने की नियत से प्रस्तुत किया है इसलिए प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। विवादित आराजीयात् राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है व कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है इस कारण वादी का वाद विधि से वर्जित नही है इसलिए प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें व प्रतिवादी को अविलम्ब अपना जवाब दावा प्रस्तुत कराये जाने का आदेश बक्षाया जावें।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र के तहत् वादी के वाद को देखा जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् नहीं आता हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क)जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया गया है। वादी के प्रार्थना पत्र के जवाब के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत से वादी के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरकरण) वल्लभनगर, जिला उदयपुर का पट्टा नम्बर 66 पत्रावली संख्या 65/96 की प्रति प्रस्तुत की है जिससे खसरा नम्बर 946 कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गगज का आवासीय पट्टा श्री गेंदा पिता दौला मेघवाल निवासी वासनीमाफी, तहसील मावली के नाम जारी होना स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 06.11.96 की प्रति से स्पष्ट है श्री गेंदा पिता दौला जी मेघवाल निवासी वासनीमाफी ने अपनी आराजी संख्या 946 में 2600 वर्गगज भूमि रूपान्तरकरण अधिकारी एस.डी.ओ. वल्लभनगर जरिये मिसल नम्बर 65/96 आबादी में परिवर्तन करवाकर पट्टा विलेख 66 दिनांक 31.10.96 को प्राप्त किया और उसके तीन आवासीय भूखण्ड बनवाये जिसमें से एक भूखण्ड श्री मनीष कुमार पिता जगदीश लाल मून्दडा माहेश्वरी महाजन निवासी महाजन निवासी फतहनगर को रूपये पचास हजार में विक्रय किया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन पूर्व में हो चुका है जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही हुआ। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में उक्त संपरिवर्तन को निरस्त कराने बाबत् सक्षम न्यायालय/अधिकारी के समक्ष कोई चाराजोही कर निरस्ती आदेश/निर्णय प्राप्त किया हो का उल्लेख नही किया है इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का आवासीय संपरिवर्तन वर्तमान में प्रभावी है। संपरिवर्तित भूमि से सम्बन्धित वाद का निस्तारण का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है राजस्व न्यायालय को नही। वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से वाद विधि द्वारा विरूद्व होने से वाद बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(दीपक मेहता)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

बईजलास दीपक मेहता, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 252/17 (वाद)

1. श्री मांगीलाल पिता गेन्दा जाति मेघवाल, निवासी वासनीमाफी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम्

2. श्री जगदीश पिता काशीराम मून्दडा, निवासी नया बाजार, सनवाड रोड, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु दीपक मेहता R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2019 को जारी की गई।

(दीपक मेहता)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली